

15 दिसंबर 2009 को आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 37.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	क्या एसजीआर* प्राप्त हो गया है	आवेदन की स्थिति
i.	मलयाली रियाल्टर्स इंडिया लिमिटेड	मांजाप्रा, एर्नाकुलम जिला, केरल	आईटी / आईटीईएस	13.14	हां (10.96 हेक्टेयर)	हां	नया
ii.	रेडी पोर्ट लिमिटेड	डाकघर रेडी, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र	एफटीड ब्ल्यूजेड	40	नहीं	हां	नया
iii.	दिल्ली स्टेट इंडिस्ट्रियल एंड इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बपरोला गांव, दिल्ली	आईटी	10.52	हां	हां	नया
iv.	दिल्ली स्टेट इंडिस्ट्रियल एंड इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बपरोला गांव, दिल्ली	रत्न एवं आभूषण	16.73	हां	हां	नया
v.	उरलुंगल लेबर कांटेक्ट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (यूएलसीसीएस लिमिटेड)	नेल्लीकोड गांव, कोझीकोड, केरल	आईटी / आईटीईएस	10.16	हां	हां	नया

vi.	स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड	टीवी पुरम, तूतीकोरीन, तमिलनाडु	तांबा	197 (तकरीबन)	हां (191 हेक्टेयर)	हां (राज्य सरकार ने आईपी अनुमोदन की सिफारिश की है, हालांकि विकासक के कब्जे में अपेक्षित भूमि है)	नया
vii.	एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ईआईएल)	अंबरनाथ, थाणे जिला, महाराष्ट्र	आईटी / आईटीईएस एवं हार्डवेयर	14.16	हां	हां	नया
viii.	लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड (एल एंड टी)	सुवाली एवं मोरा गांव, तालुक चौरासी, जिला सूरत, गुजरात	हैवी इंजीनियरिंग	100	हां	हां	नया

\* राज्य सरकार की सिफारिश

मद संख्या 37.2 : सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अभ्युक्तियां
i.	लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड	रामदासपुर, कटक जिला, उड़ीसा	सोलर पीवी	101	11 अगस्त 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश की है।
ii.	वेरिटास	शाहबाज गांव,	बायोटेक	11.54	8 अगस्त 2007 को आयोजित अनुमोदन

	इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड	ताल्लुक अलीबाग, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र		<p>बोर्ड की बैठक में सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 15 अक्टूबर 2007 को एलओए जारी किया गया था। इसके बाद सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा 23 फरवरी 2009 को विचार किया गया। तथापि, अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया क्योंकि विकासक ने बिक्री के लिए पंजीकृत करार का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया था जो कब्जा / स्वामित्व स्थापित करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं है। अब विकासक ने संबंधित राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए 7 / 12 उद्धरण की प्रतियां प्रस्तुत की हैं जो कब्जा / स्वामित्व स्थापित करने के लिए मान्य दस्तावेज है। चूंकि विकासक के नाम में भूमि के अंतरण का उल्लेख करने वाले उपर्युक्त प्रमाण पत्र स्थानीय भाषा में हैं इसलिए अंग्रेजी में नोटरीकृत प्रति भी उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश की है।</p>
--	----------------------------------	---	--	--

मद संख्या 37.3 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड द्वारा कुर्शनूर, नादेड़, महाराष्ट्र में विकसित फार्मा एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एमआईडीसी फार्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड द्वारा 150 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कुर्शनूर, नादेड़, महाराष्ट्र में विकसित फार्मास्युटिकल एसईजेड 11 जनवरी 2007 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स पार्श्वनाथ एमआईडीसी फार्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड के विकास के लिए सह विकासक हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 8 दिसंबर 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा बोर्ड ने नोट किया कि सह विकासक करार की बजाय प्राधिकार करार प्रस्तुत किया गया है। अब विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 4 सितंबर 2009 उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है।

(ii) नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स महिंद्रा बेबांको डवलपर्स लिमिटेड (एमबीडीएल) का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 29 मई 2007 को 1511.51 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 66.90 हेक्टेयर का अतिरिक्तक्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 1578.41 हेक्टेयर हो गया। मैसर्स महिंद्रा बेबांको डवलपर्स लिमिटेड (एमबीडीएल) ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 10.2 हेक्टेयर (25.252 एकड़) के क्षेत्रफल में एक आवासीय टाउनशिप का विकास करने और सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं साथ उसमें भवन यूनिटों का निर्माण करने के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव पर 11 अगस्त 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया क्योंकि बोर्ड ने विकास आयुक्त, एसईईपीजेड को मुद्दे की जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया जिसके आधार पर अनुमोदन बोर्ड कोई निर्णय ले सके। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है तथा अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है।

(iii) आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एसीएन इनफोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन द्वारा 16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 11 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स एसीएन इनफोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 2 एकड़ के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 20 अप्रैल 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है।

(iv) आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सांख्य टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन द्वारा 16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट

एसईजेड को 11 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स सांख्य टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने भी उक्त एसईजेड में 2 एकड़ के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 20 अगस्त 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है।

(v) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा पुथुव्यपीन, केरल में विकसित पोर्ट आधारित एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा पुथुव्यपीन, एर्नाकुलम जिला, केरल में विकसित पोर्ट आधारित एसईजेड 2 नवंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के लिए भंडारण की सुविधाओं के विकास, इंटरकनेक्टिंग पाइप लाइन बिछाने और एक इनलैंड एलपीजी कंटेनर (टैंकर) स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयुक्त एसईजेड में सह विकासक हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सह विकासक करार उपलब्ध नहीं कराया गया है। तथापि, मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से इसकी प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। सह विकासक करार की प्राप्ति के अधीन सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है।

(vi) मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा मुसाल गांव एवं गुलवंच गांव, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में विकसित किए जा रहे बहु उत्पन्न एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 1006.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नासिक, महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा बहु उत्पन्न एसईजेड 27 अक्टूबर 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड जो इंडियाबुल्स ग्रुप का एसपीवी है, ने 1200 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। बताया गया है कि एसईजेड में विद्युत के उत्पादन के संबंध में 27 फरवरी 2009 को जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 28 अक्टूबर 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है।

(vii) मैसर्स गोपालन इंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हूडी गांव, के आर पुरम, हवाई फील्ड, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स माइंडट्री लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स गोपालन इंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10.3092 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 16 फरवरी 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स माइंडट्री लिमिटेड ने उक्त एसईजेड के 1.3658 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के विकास के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 1 जून 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है।

(viii) मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पार्क - केरल द्वारा अटिप्रा गांव, तिरुवनंतपुरम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स यूएसटी ग्लोबल इंडिया का अनुरोध

मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पार्क - केरल द्वारा 34.47.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तिरुवनंतपुरम, केरल में विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 12 दिसंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स यूएसटी ग्लोबल इंडिया जो मैसर्स यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (जो एसईजेड में एक मौजूदा सह विकासक है) की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने इस एसईजेड के 2.4767 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एक आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह भूमि 14.5692 हेक्टेयर के क्षेत्रफल का हिस्सा है इसके लिए मैसर्स यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड सह विकासक है। मैसर्स यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए अपनी सहायक कंपनी को 2.4767 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने में विकासक को कोई आपत्ति नहीं है। सह विकासक करार दिनांक 23 नवंबर 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है।

मद संख्या 37.4 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठकों में 89 मामलों को एक साल के लिए समय विस्तार पहले ही प्रदान किया जा चुका है। औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 16 मामले प्राप्त हुए हैं। एक साल के लिए अवधि बढ़ाने हेतु ये मामले भी अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

(i) प्लाट नंबर सी-001, सेक्टर 67, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिला, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 5 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएसई इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

(ii) अतिरिक्त लातूर, जिला लातूर, महाराष्ट्र में कृषि प्रसंस्करण उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 4 अप्रैल 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

(iii) राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 3, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड हेतु 2 अप्रैल 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

(iv) कागल हाट, कनगाले, कोल्हापुर जिला, महाराष्ट्र में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 4 अप्रैल 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

(v) अतिरिक्त यवतमाल, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र में टेक्सटाइल उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 21 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

(vi) कुर्शनूर, नादेड़ जिला, महाराष्ट्र में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 4 अप्रैल 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

(vii) नंदगांव पेठ, जिला अमरावती, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड के लिए 2 अप्रैल 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

(viii) शेंद्र, औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 4 अप्रैल 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

(ix) बुटिबोरी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 4 अप्रैल 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

(x) छरोडी एवं तारागढ़ गांव, तालुक दसक्रोई एवं सिटी, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 19 दिसंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

(xi) मणिकोंडा गांव, राजेन्द्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 25 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एम्मार हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xii) शिकोहपुर गांव, सोहना तहसील, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रनिक्स / आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 6 अप्रैल 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लक्सर सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xiii) कलिंग नगर, उड़ीसा में स्टेनलेस स्टील तथा सहायक / डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 24 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड का अनुरोध

(xiv) चांजे गांव, उरान तालुक, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड के लिए 30 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स करांजा इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xv) विलंकुरिचि, कोयंबटूर उत्तर तालुक, कोयंबटूर, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 15 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध

(xvi) नक्कापल्ली मंडल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए 25 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हेटेरो इनफ्रास्ट्रक्चर एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 37.5 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटी लिमिटेड का अनुरोध



प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए सह विकासक के अनुरोध को 5 नवंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था और यह निदेश दिया गया था कि विकास आयुक्त, नोएडा / निदेशक, एसटीपीआई विकासक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए विकासक के परिसरों का संयुक्त रूप से निरीक्षण करें :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्र
1.	गैस जेनरेशन सेट का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन	4 मिलियन वर्ग फीट (1 मिलियन वर्ग फीट = 12 मेगावाट) 4x12 मेगावाट = 48 मेगावाट
2.	चिल्ड वाटर का प्रयोग करके एयरकंडिशनिंग	4 मिलियन वर्ग फीट

(ii) सोहना तहसील, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीएसआई फिनलीज एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए सह विकासक के अनुरोध को 5 नवंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि बोर्ड ने कोई अगला निर्णय लेने से पूर्व विकास आयुक्त, नोएडा तथा विकास आयुक्त / निदेशक, एसटीपीआई के संयुक्त निरीक्षण के बाद उनसे इनपुट प्राप्त करने का निर्णय लिया था :

#### प्रसंस्करण क्षेत्र

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	मल्टी पर्पज हॉल	3000
2.	कैफेटीरिया / फूड कोर्ट / रेस्टोरेंट	2000
3.	बैंक / एटीएम	500
4.	मनोरंजन (क्लब एवं जिम)	2000
5.	प्रशासन / राज्य प्रबंध	1000

#### गैर प्रसंस्करण क्षेत्र

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	वाणिज्यिक कार्यालय एवं शॉपिंग	15000
2.	आवासीय क) प्रत्येक 60 मीटर की 150 यूनिट	143000

	ख) प्रत्येक 100 मीटर की 432 यूनिट ग) प्रत्येक 140 मीटर की 520 यूनिट घ) प्रत्येक 180 मीटर की 100 यूनिट	
3.	सर्विस अपार्टमेंट	4500
4.	क्लब	500
5.	स्कूल	3000

(iii) कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स रतिनाम अरुमुगम रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन का अनुरोध

प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए सह विकासक के अनुरोध को 5 नवंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि बोर्ड ने कोई अगला निर्णय लेने से पूर्व विकास आयुक्त, एमईपीजेड तथा विकास आयुक्त / निदेशक, एसटीपीआई के संयुक्त निरीक्षण के बाद उनसे इनपुट प्राप्त करने का निर्णय लिया था :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
	I. रहने की सुविधाएं	
1.	सर्विस अपार्टमेंट - 50	4,647
2.	हॉस्टल रूम - 300	6,970
3.	अतिथि गृह - 20	2,788
	II. स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाएं	
4.	100 बिस्तर वाला अस्पताल	2,323
	III. शिक्षा की सुविधाएं	
5.	स्कूल, कॉलेज एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण	18,587
	IV. मनोरंजन की सुविधाएं	
6.	फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग एवं गेमिंग सेंटर	5,111

(iv) भडूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स दाहेज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 20 दिसंबर 2006 को 1718-93-87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। मैसर्स दाहेज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 11 अगस्त 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में

अनुमोदित किया गया है। मैसर्स दाहेज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया था :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्र
1.	कनफ्रेंस हॉल, मीटिंग रूम, ब्रेकआउट एरिया आदि के साथ कुल 600 व्यक्तियों की क्षमता वाला सम्मेलन केन्द्र	25,000 वर्ग फीट
2.	100 कमरों वाला होटल, 2 रेस्टोरेंट, बिजनेस सेंटर, स्वीमिंग पूल आदि	61,000 वर्ग फीट
3.	कार्यालय स्थान	1,38,400 वर्ग फीट
4.	150 सर्विस अपार्टमेंट	1,54,200 वर्ग फीट
5.	जूस बार, योग सेंटर, स्पा, इंडोर स्पोर्ट्स - बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, कार्ड रूम, चेस आदि के साथ क्लब	33,300 वर्ग फीट

5 नवंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया गया तथा इसे आस्थगित कर दिया गया क्योंकि अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि दाहेज एसईजेड में अतिथि सत्कार की सेवाओं के लिए दो अनुमोदित विकासक हैं, दूसरा अनुमोदित सह विकासक मैसर्स सप्तगिरि हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड है जिसने भी निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया था (हालांकि अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड की 36वीं बैठक के एजेंडा में औपचारिक रूप से शामिल नहीं किया जा सका था)। इसलिए बोर्ड ने विकास आयुक्त, दाहेज को दोनों प्रस्तावों का अध्ययन करने तथा तथा सिफारिशें भेजने का निदेश दिया, जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जा सके।

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्र
1.	75 गेस्ट रूम होटल, 25 स्टूडियो अपार्टमेंट एवं बिजनेस सेंटर आदि	1,25,000
2.	24 घंटे कॉफी शॉप एवं स्पेशियलिटी रेस्टोरेंट	20,000
3.	हेल्थ क्लब, स्पा, इंडोर रिक्रिएशन, बार / लांज, स्वीमिंग पूल, टेनिस कोर्ट आदि	39,500
4.	कामर्सियल काम्प्लेक्स / ऑफिसर कॉम्प्लेक्स / रिटेल आउटलेट / शॉपिंग अर्केड	1,25,000
5.	कॉन्फ्रेंस / बैंक्वेट / मीटिंग रूम आदि	22,500

(v) नागपुर, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुयोग रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए विकासक के अनुरोध को 5 नवंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था

क्योंकि बोर्ड ने कोई अगला निर्णय लेने से पूर्व विकास आयुक्त, एसईईपीजेड तथा विकास आयुक्त / निदेशक, एसटीपीआई के संयुक्त निरीक्षण के बाद उनसे इनपुट प्राप्त करने का निर्णय लिया था :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	आवासन एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 420 इवेलिंग यूनिट के साथ 10 टावर वाले टाइप ए अपार्टमेंट	22260
2.	आवासन एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 42 इवेलिंग यूनिट के साथ 1 टावर वाले टाइप बी अपार्टमेंट	2013.55
3.	आवासन एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 420 इवेलिंग यूनिट के साथ 15 टावर वाले टाइप सी अपार्टमेंट	25210.50

(vi) डीएलएफ साइबर सिटी, गुडगांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक में अनुमोदित कॉम्प्लेक्स / कार्यालय स्थान तथा सर्विस अपार्टमेंट के स्थान पर गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए सह विकासक के अनुरोध को 5 नवंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि बोर्ड ने कोई अगला निर्णय लेने से पूर्व विकास आयुक्त, एनएसईजेड तथा विकास आयुक्त / निदेशक, एसटीपीआई के संयुक्त निरीक्षण के बाद उनसे इनपुट प्राप्त करने का निर्णय लिया था :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान	32000

(vii) पनवेल, महाराष्ट्र में बहु सेवा एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रायगढ़, महाराष्ट्र में बहु सेवा एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 139.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 19 फरवरी 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र / गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	प्रसंस्करण क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
1.	कार्यालय स्थान	1,35,747	--

2.	आवासीय आवास (लगभग 1500 यूनिटें)	--	2,00,790
----	------------------------------------	----	----------

(viii) एपीआईआईसी द्वारा महबूब नगर जिला, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल फार्मुलेशन के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड का अनुरोध

महबूब नगर जिला, आंध्र प्रदेश में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एपीआईआईसी द्वारा फार्मास्युटिकल फार्मुलेशन एसईजेड 13 जून 2007 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड को 1 अगस्त 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया है। 14 अगस्त, 2008 को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। सह विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्र
1.	भाप का उत्पादन एवं वितरण	5 टन / 10.5 वर्ग सेंटीमीटर / सेकंड
2.	कंप्रेसड एयर का उत्पादन एवं वितरण	800 सीएफएम
3.	सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक उपलब्ध कराना	120 केएल
4.	हॉट वाटर का उत्पादन एवं वितरण	20000 किलोवाट प्रति घंटा
5.	एयर कंडीशनिंग की सुविधा	1000 टीआर
6.	तोल सेतु उपलब्ध कराना	40 टन
7.	सामान्य कैंटीन भवन का निर्माण	200 वर्ग मीटर
8.	यूटिलिटी ब्लॉक का निर्माण	675 वर्ग मीटर
9.	विश्राम कक्ष का निर्माण	340 वर्ग मीटर
10.	लाट्री की सुविधा	100 वर्ग मीटर

(ix) साई गांव, पनवेल तालुक, रायगड जिला, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा साई गांव, पनवेल तालुक, रायगड जिला, महाराष्ट्र में 45.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकसित एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड 4 मई 2009 को अधिसूचित किया गया था। सह विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र / गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	प्रसंस्करण क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
----------	----------------	---------------------------------------	---

1.	ओपन स्टोरेज यार्ड		
	क) कंटेनर यार्ड	15000	--
	ख) ओवर डाइमेंशनल कार्गो यार्ड	9500	--
	ग) खाली कंटेनर यार्ड	4200	--
	घ) मेंटीनेंस एंड रिपेयर यार्ड	7000	--
	ङ) स्क्रेप यार्ड	5500	--
2.	कस्टम गेट कम्प्लेक्स	1000	--
3.	परिवहन प्रणाली		
4.	क) बस शेल्टर, बस टर्मिनल एवं वर्कशॉप	3000	--
	ख) हेलीपैड - 1	5000	--
	ग) यातायात नियंत्रित करने के लिए प्रणालियां		
	(i) आवक / जावक माल वाहनों के लिए टिकट सिस्टम	1	--
	(ii) वाहन निर्णय सिस्टम तथा यातायात प्रबंधन सिस्टम - साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	1	--
5.	मेंटीनेंस एंड रिपेयर शेड	1500	--
6.	जन सुविधाएं		
	क) फूड सर्विस जैसे कि कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाएं एवं किचन	3000	--
	ख) शौचालय एवं रेस्ट रूम	1500	150
	ग) बुनियादी सुविधा स्टोर (ग्रोसरी, स्टेशनरी आदि)	150	500
7.	प्रशासनिक भवन (शामिल करने के लिए)	--	5000
	क) एफटीडब्ल्यूजेड मैनेजमेंट सेंटर	--	--
	ख) विकास आयुक्त का कार्यालय	--	--
	ग) कूरियर कार्यालय	--	--
	घ) बैंक / एटीएम	--	--
	ङ) इंटरनेट कैफे	--	--
	च) टेलीफोन बूथ	--	--
	छ) डाक / तार घर	--	--
	ज) व्यवसाय केन्द्र	--	--
	झ) क्लियरिंग एजेंट, बीमा कंपनियों के लिए कार्यालय	--	--
	ञ) स्टेशनरी एवं जीरोक्स की सुविधा	--	--
	ट) पेंट्री एवं कैंटीन	--	--
	ठ) डाटा केंद्र	--	--
	ड) पॉली क्लीनिक एवं फार्मसी	--	--
8.	सिक्योरिटी, सुरक्षा, अक्सेस कंट्रोल तथा निगरानी	5000	100

	प्रणाली		
	क) सुरक्षा टावर एवं नेटवर्क, निगरानी, निगरानी अक्सेस कंट्रोल, स्वचालित	12	--
	ख) स्पीड निगरानी तथा कंट्रोल - साफ्टवेयर और हार्डवेयर	1	--
	घ) अक्सेस कंट्रोल प्रबंधन	1	--
	ङ) निगरानी और अनुवेदन प्रणाली	1	--
9.	वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम	--	--
	क) गुड्स / कंटेनर ट्रैकिंग / ट्रेसिंग सिस्टम	1	--
	ख) डब्ल्यू एम साफ्टवेयर	1	--
10.	उत्पाद डिस्प्ले सेंटर	1500	1000
11.	आवश्यक अनुरक्षण स्टाफ आवास और	--	3000
12.	फायर स्टेशन	--	1000

**एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 9 के अनुसार अधिकृत प्रचालन (सेवाएं)**

क्र. सं.	सेवाओं का प्रकार	विवरण	सेवा कर अधिनियम के तहत विवरण
(क)	वेयरहाउसिंग प्रचालन		
1.	कार्गो से संबंधित	खाली कंटेनरों का भंडारण तथा हैंडलिंग सहित भंडारण, वेयरहाउसिंग	भंडारण तथा वेयरहाउसिंग की सेवाएं
2.	कार्गो से संबंधित	वेयरहाउस स्पेस किराए पर देना	अचल संपत्ति को किराए पर देना
(ख)	वाणिज्यिक प्रचालन		
1.	कार्गो से संबंधित	वितरण सेवाएं	व्यावसाय या वाणिज्य की सहायता सेवाएं
2.	कार्गो से संबंधित	कार्गो हैंडलिंग की सेवाएं, मैनुअल (श्रम) या यांत्रिक (उपकरण) या दोनों, जैसे कि कार्गो की लोडिंग, अनलोडिंग, स्टफिंग, डिस्टफिंग, पैकिंग अथवा अनपैकिंग, स्पेशल कंटेनर में फ्रेट के लिए या गैर डिब्बाबंद फ्रेट के लिए प्रदान की गई कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज, कंटेनर एवं फ्रेट की री-वर्किंग, एफटीडब्ल्यूजेड में प्रदान की गई कार्गो एवं कंटेनर फ्रेट से संबंधित सेवाएं	कार्गो हैंडलिंग सेवाएं
3.	कार्गो से संबंधित	सामग्री हैंडलिंग उपकरण - प्रचालक के साथ / बगैर रेंटल / लीजिंग सर्विसेज	मूर्त माल की आपूर्ति सेवाएं
4.	कार्गो से संबंधित	विभिन्न सर्वेक्षण सेवाएं जैसे कि कंटेनर सर्वेक्षण, उपकरण सर्वेक्षण, कार्गो सर्वेक्षण, प्रचालन सर्वेक्षण आदि	तकनीकी निरीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसी

5.	कार्गो से संबंधित	कंटेनर रिपेयर एवं मंटीनेंस सेवाएं जैसे कि धुलाई, सफाई, छोटी-मोटी मरम्मत आदि	प्रबंध, अनुरक्षण अथवा रख रखाव
6.	कार्गो से संबंधित	फ्रेट फारवर्डिंग सेवाएं	शिप प्रबंधन सेवाएं
7.	कार्गो से संबंधित	टर्नकी जॉब हैंडल करना जैसे कि डोर टू डोर हैंडलिंग या इंडीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज	कार्गो हैंडलिंग सेवाएं
8.	कार्गो से संबंधित	तौल सेवाएं	कार्गो हैंडलिंग सेवाएं
9.	कार्गो से संबंधित	मूल्यवर्धन सेवाएं जैसे कि लेबलिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग, लैशिंग, अनलैशिंग, चोकिंग, पैलेटाइजेशन, थ्रिंक रैपिंग, सीकेडी / एसकेडी पार्ट्स की असेंबलिंग, यूनीटाइजिंग आदि	क) कार्गो हैंडलिंग सेवाएं ख) पैकेजिंग सेवा
10.	कार्गो से संबंधित	माल, पैकिंग सामग्री एवं कंटेनर के लिए धूम्रीकरण सेवाएं	कार्गो हैंडलिंग सेवाएं
11.	कार्गो से संबंधित	माल परिवहन एजेंसी सेवा (सड़क / रेल / हवाई / जल मार्ग से)	क) सड़क मार्ग के लिए माल परिवहन एजेंसी ख) रेल द्वारा कंटेनर में सामानों की ढुलाई ग) एयरक्राफ्ट द्वारा सामानों की ढुलाई घ) शिप प्रबंधन सेवाएं
12.	कार्गो से संबंधित	क्लियरिंग और फारवर्डिंग एजेंट की सेवाएं	क्लियरिंग और फारवर्डिंग एजेंट
13.	कार्गो से संबंधित	कस्टम हाउस एजेंसी की सेवाएं	कस्टम हाउस एजेंट
14.	कार्गो से संबंधित	दावा की प्रोसेसिंग सहित सामान्य बीमा एवं जीवन बीमा के संबंध में बीमा सहायक सेवाएं	बीमा सहायक सेवा
15.	सिविल	मरम्मत या अनुरक्षण - सिविल स्ट्रक्चर	वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवा
16.	प्रशासन	वाहन मरम्मत एवं अनुरक्षण	वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है
17.	प्रशासन	उपकरण मरम्मत एवं अनुरक्षण	प्रबंध, अनुरक्षण अथवा रख रखाव
18.	प्रशासन	साई गांव एफटीडब्ल्यूजेड आने और जाने के लिए वाहन सुविधा	रेंट ए कैब स्कीम ऑपरेटर सर्विस
19.	प्रशासन	कारों, वाणिज्यिक वाहनों के लिए तथा माल वाहनों के लिए भी पार्किंग सुविधा की सेवाएं	अचल संपत्ति को किराए पर देना
20.	प्रशासन	सचल या अचल अग्निशमन सेवाएं, अग्निशमन तथा संबंधित सेवाएं	वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है
21.	प्रशासन	माल वाहनों एवं कार्मिकों के लिए	सिक्योरिटी एजेंसी



		सिक्वोरिटी एजेंसी सेवा तथा सिक्वोरिटी एस्कोर्ट सेवा	
22.	प्रशासन	अपशिष्ट / कूड़ा निस्तारण सेवा	सफाई की गतिविधि
23.	प्रशासन	कार्यालय स्थान किराए पर देना (कस्टम एवं सिक्वोरिटी स्टाफ से भिन्न), डिस्प्ले सेंटर, बिजनेस सेंटर / लांज / मीटिंग रूम	अचल संपत्ति को किराए पर देना
24.	प्रशासन	हाउसकीपिंग सेवाएं	सफाई की गतिविधि
25.	प्रशासन	प्राथमिक उपचार एवं एंबुलेंस सुविधा + क्लीनिक की सुविधा (एफटीडब्ल्यूजेड / मेडिकल स्टोर के बाहर)	वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है
26.	प्रशासन	कैफे / रेस्टोरेंट / फूड कोर्ट सेवा	कैटरर
27.	प्रशासन	बैंक आफिस सर्विस - कार्यालय / प्रलेखन, कॉल सेंटर आदि का प्रबंधन	प्रबंध अथवा (व्यवसाय) परामर्शदाता
28.	प्रशासन	जनशक्ति भर्ती एवं आपूर्ति एजेंसी सेवाएं	प्रबंध अथवा (व्यवसाय) परामर्शदाता

(x) मुंद्रा गांव एवं तालुक, कच्छ जिला, गुजरात में मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित बहु उत्पन्न एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अडानी मुंद्रा एसईजेड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा गांव एवं तालुक, कच्छ जिला, गुजरात में 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पन्न एसईजेड अधिसूचित किया गया था। उपर्युक्त एसईजेड में मैसर्स अडानी मुंद्रा एसईजेड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड सह विकासक के रूप में अनुमोदित है। सह विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	मल्टीप्लेक्स	25000

(xi) मैसर्स सिपकॉट द्वारा इरुंगटोकोट्टई, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में विकसित फुटवियर और लेदर उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 7 फरवरी 2008 को 62.22 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। एलओए दिनांक 11 नवंबर 2009 के माध्यम से मैसर्स फुटवियर डिजाइन एवं विकास

संस्थान उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित है। सह विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
1.	प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	3626
2.	वर्कशॉप एवं प्रयोगशालाओं का निर्माण	7216
3.	क्लासरूम, प्रशिक्षण केन्द्रों तथा व्याख्यान थिएटर आदि का निर्माण	3564
4.	डिजाइन स्टूडियो, कैड-कैम सुविधाओं का निर्माण	600
5.	ऑडिटोरियम का निर्माण	1210.33
6.	पुस्तकालय एवं कंप्यूटर केन्द्र का निर्माण	1300
7.	छात्रावासों का निर्माण	9163
8.	स्टाफ क्वार्टरों एवं आवासीय ब्लॉकों का निर्माण	7407
9.	एसटीपी तथा अन्य यूटिलिटीज	490
10.	इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन, डीजल जेनरेटर सेट आदि का संस्थापन एवं अधिष्ठापन	--
11.	आईटी उपकरणों, डेस्क टॉप, सर्वर, स्विच, स्टोरेज डिवाइस तथा अन्य संबंधित सुविधाओं का प्रापण एवं संस्थापन	--
12.	वर्कशॉप तथा प्रयोगशालाओं के लिए मशीनों एवं उपकरणों का प्रापण एवं संस्थापन	--
13.	फर्नीचर, फिक्सचर तथा एयर कंडिशनिंग की सुविधाएं	--

(xii) भडूच जिला, गुजरात में रसायनों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जुबिलैंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स जुबिलैंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 107.16.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भडूच, गुजरात में रसायनों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 11 फरवरी 2008 को अधिसूचित किया गया था। प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	सभी आवश्यक साजोसामान एवं इसकी वितरण प्रणाली के साथ कोल फायर्ड बायलर वाला स्टीम जेनरेशन प्लांट	8000 क्षमता - 25 टीपीएच
2.	सभी साजोसामान तथा इसकी कार्यालय केबिन के साथ तौल सेतु	160 क्षमता - 4 x 80 टन या 100 टन

3.	सभी साजोसामान के साथ अमोनिया भंडारण टैंक	7200 क्षमता - 2 x 60 मीट्रिक टन (जल आयतन)
4.	औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कि ठोस, तरल एवं गैसीय अपशिष्ट आदि के शोधन के लिए आवश्यक मदों एवं साजोसामान के साथ सभी आवश्यक उपकरणों से लैस इनसाइनेटर प्लांट	900 ठोस अपशिष्ट - 1200 किलोग्राम प्रतिदिन तरल अपशिष्ट 125, प्रतिदिन 3 तथा गैसीय अपशिष्ट - 26000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा

(xiii) श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबली के विकास के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाएं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अपोलो हास्पिटल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कांचीपुरम, तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबलिंग के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाओं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 85.375 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 17 अगस्त 2005 को अधिसूचित किया गया था। उक्त एसईजेड को 19 जुलाई, 2006 को पुनः अधिसूचित किया गया। एलओए दिनांक 21 अगस्त 2009 के माध्यम से मैसर्स अपोलो हास्पिटल्स इंटरप्राइज लिमिटेड उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित है। सह विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	हॉस्पिटल	4,010
2.	कैंटीन	49
3.	फार्मसी	13

(xiv) हिंजेवाडी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हिंजेवाडी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 10.968 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 12

दिसंबर 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र / गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

**प्रसंस्करण क्षेत्र :**

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	विकासक के स्टाफ के लिए प्रशासनिक स्थान	640
2.	पुस्तकालय	611
3.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	1806
4.	एटीएम (प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यक्तियों के प्रयोग के लिए)	22
5.	बिजनेस एवं कनवेंशन सेंटर (इन हाउस)	870

**गैर प्रसंस्करण क्षेत्र :**

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	आवासीय फ्लैट	48321 (240 यूनिट)
2.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	396
3.	शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस / कामर्सियल स्पेस	150
4.	एटीएम	19

(xv) एमएडीसी द्वारा मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कोलेंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 29 मई 2007 को 1511.51 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 66.90 हेक्टेयर का अतिरिक्तक्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 1578.41 हेक्टेयर हो गया। मैसर्स कोलेंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एलओए दिनांक 20 जून 2007 के माध्यम से अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में 40.46 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सह विकासक के रूप में अनुमोदित है। सह विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
----------	----------------	------------------------------

1.	एयर कंडिशनिंग	620000
2.	कैप्टिव प्रयोग के लिए बैकअप आदि के लिए विद्युत एवं अन्य अवसंरचना	4,800 (1200 प्रत्येक के 4 फेज में)
3.	रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग सुविधाएं, कैफेटेरिया एवं फूड कोर्ट सहित फूड सेवाएं	20,000 (5000 प्रत्येक के 4 फेज में)
4.	एटीएम	100 (कुल 3 एटीएम)
5.	क्लब हाउस	6,000

(xvi) कीरांथम गांव, कोयंबटूर (उत्तर) तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में 34.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 9 नवंबर 2006 को आईटी / आईटीईएस एसईजेड अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 17 सितंबर 2017 और 28 अप्रैल 2008 को क्रमशः 12.66 हेक्टेयर तथा 3.93.5 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल भी अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 51.255 हेक्टेयर हो गया है। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	आवासीय / आवासन परिसर / अतिथि गृह / सेवा अपार्टमेंट्स	75000
2.	कामर्सियल कॉम्प्लेक्स	50000
3.	व्यवसाय केन्द्र / सम्मेलन केन्द्र	5000
4.	कम्युनिटी हाल	1000
5.	फूड कोर्ट	1000
6.	वाणिज्यिक कम्प्लेक्स / कार्यालय स्थान	15000
7.	यूटिलिटीज, गार्ड हाउस	1000
8.	प्रशासनिक / संपदा कार्यालय	1000
9.	रिटेल / कामर्सियल	15000

(xvii) गुडगांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मायर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स मायर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुडगांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 12.4928 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 9

सितंबर 2008 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद उक्त एसईजेड में 2.59 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि शामिल करने के लिए 5 नवंबर 2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा विकासक को मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	फर्शी क्षेत्र अनुपात (वर्ग मीटर में)
1.	होटल (100 कमरे + 50 सुइट)	37000
2.	सर्विस अपार्टमेंट (200 यूनिटें)	19000
3.	आवासीय भूखंड (12)	7 x 600 वर्गमीटर 5 x 300 वर्गमीटर
4.	वाणिज्यिक स्थान	2800

मद संख्या 37.6 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) शेंद्रे, महाराष्ट्र में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम संबद्ध उद्योग से बदलकर इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक सेक्टर करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा महाराष्ट्र में 118.13 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम संबद्ध उद्योग एसईजेड 22 दिसंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद एसईजेड का क्षेत्रफल घटाकर 110.31 हेक्टेयर कर दिया गया था। एमआईडीसी ने कहा है कि एल्युमिनियम क्षेत्र में कोई मांग नहीं है। आज तक की स्थिति के अनुसार केवल 8 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है तथा 23.06 हेक्टेयर भूमि मैसर्स हिंडालको एलमेक्स एयरोस्पेस लिमिटेड के लिए आरक्षित है। इसके अलावा इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स एक विस्तृत क्षेत्र है तथा समान लोकेशन के लिए संभावना अधिक हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम संबद्ध गतिविधियां इंजीनियरिंग सेक्टर के तहत भी शामिल हैं। अतः उन्होंने सेक्टर को एल्युमिनियम एवं एल्युमिनियम संबद्ध उद्योगों से बदलकर इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक सेक्टर करने के लिए अनुरोध किया है। एमआईडीसी द्वारा दर्शाई गई तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए अनुरोध को फाइल पर अनुमोदित कर दिया गया है तथा 15 अक्टूबर 2009 को मंजूरी पत्र भी जारी हो चुका है। यह अनुमोदन बोर्ड के सूचनार्थ / पुष्टि के लिए प्रस्तुत है।

(ii) माहेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में रत्न एवं आभूषण के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में ब्रांडेड उत्पादों, लग्जरी तथा लाइफ स्टाइल उत्पादों को शामिल करके सेक्टर का नाम परिवर्तित करने के लिए मैसर्स हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने हेतु मैसर्स हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड द्वारा माहेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में रत्न एवं आभूषण एसईजेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। उपर्युक्त एसईजेड 80.93 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 14 अगस्त 2006 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने वर्तमान सेक्टर में ब्रांडेड उत्पादों, लग्जरी तथा लाइफ स्टाइल उत्पादों को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने कहा है कि एलओए के तहत मंजूर की गई 7 यूनिटों में से 3 यूनिटें इस समय चालू हो गई हैं तथा डायमंड पॉलिश करने, आभूषण का निर्माण करने तथा पॉलिश किए गए डायमंड का व्यापार करने में शामिल हैं। यूनिटों का इरादा निम्नलिखित लग्जरी एवं लाइफ स्टाइल उत्पादों (अर्थात डायमंड / बहुमूल्य पत्थर या बहुमूल्य मेटल आधारित) का निर्माण करने का इरादा है :

- (i) टाइम वेयर एंड टाइम पीस
- (ii) बहुमूल्य मेटल वाले स्पेक्टेकल फ्रेम
- (iii) फैशन असेसरीज जैसे कि पेन, बेल्ट बकल, टेबल टॉप आइटम
- (iv) बहुमूल्य मेटल वाली उपहार की वस्तुएं
- (v) गोल्ड, सिल्वर या अन्य बहुमूल्य मेटल की चमड़े की वस्तुएं (पर्स, वालेट, बिजनस कार्ड होल्डर, लेदर बेल्ट)
- (vi) बहुमूल्य या अर्द्ध बहुमूल्य मेटल कंपोनेंट के साथ चमड़े के जूते
- (vii) सिल्वरवेयर
- (viii) बहुमूल्य मेटल की कटलरी तथा आर्टिफैक्ट
- (ix) ज्वैलरी डिस्प्ले सामग्री जैसे कि लेदरेट बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स, वुडन बॉक्स, फ्लॉक बॉक्स, वाच बॉक्स, एक्रिलिक डिस्प्ले सामग्री
- (x) सहायक गतिविधियों के रूप में पैकिंग की सामग्रियों का निर्माण

उपर्युक्त मदों को शामिल करने के लिए विकासक द्वारा प्रदान किया गया औचित्य यह है कि समृद्धि बढ़ने के साथ लग्जरी गुड्स के लिए विश्वव्यापी बाजार बढ़ रहा है और तेजी से विकासशील देशों में विशेष रूप से डिस्पोजेबल आय बढ़ रही है। यह क्षेत्र इन बाजारों में वास्तविक क्षमता रखता है और यह रचनात्मक व्यवसाय तथा अग्रणी ब्रांडों की एक व्यापक रेंज है जो उच्च डिजाइन के लाइफ स्टाइल उत्पादों के लिए बढ़ते वैश्विक उपभोक्ताओं एवं संविदा बाजार को सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा भारत डायमंड की कटाई एवं पॉलिश, आभूषण एवं बहुमूल्य धातु निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपना दबदबा पहले

ही स्थापित कर चुका है जो लग्जरी, लाइफस्टाइल रिटेल उत्पादों तथा मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण के लिए प्राथमिक घटक है। निर्माण और निर्यात के लिए उपर्युक्त उत्पादों को शामिल करने से बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा, भारत के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा राजस्व का सृजन होगा। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की जांच की है तथा कहा है कि यूनिटों द्वारा निर्माण किए जाने के लिए आशयित सभी उत्पाद रत्न एवं आभूषण क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सिफारिश की है कि रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए केवल (ii), (iii), (v) और (ix) में उल्लिखित मदों की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

विकासक ने 11.93 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने का भी अनुरोध किया है (एजेंडा की मद संख्या 37.8 (vi) देखें)।

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में ब्रांडेड उत्पादों, लग्जरी एवं लाइफ स्टाइल उत्पादों को शामिल करने के लिए विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) भागन तथा कुरार इब्राहिमपुर गांव, मुर्थल के पास, जिला सोनीपत, हरियाणा में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर इंजीनियरिंग से बदलकर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद क्षेत्र करने के लिए मैसर्स अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड द्वारा भागन तथा कुरार इब्राहिमपुर गांव, मुर्थल के पास, जिला सोनीपत, हरियाणा में 101.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकसित किए जा रहे इंजीनियरिंग एसईजेड को 7 जुलाई 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने यह कहते हुए सेक्टर को इंजीनियरिंग से बदलकर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद क्षेत्र करने के लिए अनुरोध किया है कि वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से इंजीनियरिंग क्षेत्र में निर्यात मांग में गिरावट के कारण प्रसंस्करण क्षेत्र में औद्योगिक भूखंड की बुकिंग के लिए रिस्पांस बहुत कम है। यह भी कहा गया है कि इस समय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश में कोई क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड नहीं है और यह कि कुछ कंपनियों ने इस सेक्टर के लिए एसईजेड में पट्टा आधार पर विकसित भूमि लेने के लिए गहरी रुचि व्यक्त की है क्योंकि यह सेक्टर वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रभावित नहीं है। विकासक ने कहा है कि कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए एसईजेड का प्रचालन करने पर एसईजेड से निर्यात तीन साल के अंदर 1500 करोड़ रुपए के न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएगा, जो 5 वर्ष में बढ़कर 3000 करोड़ रुपए हो जाएगा। विकासक ने कहा है कि एसईजेड परियोजना को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा चुके हैं और यह कि मास्टर प्लान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा तथा पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन राज्य सरकार के विचारार्थ / अनुमोदन के लिए पहले से ही प्रस्तुत है। विकास आयुक्त,



एनएसईजेड ने भी क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को "इंजीनियरिंग क्षेत्र" से "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) कीरांथम गांव, कोयंबटूर (उत्तर) तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर शामिल करके सेक्टर के परिवर्तन के लिए मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में 34.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 9 नवंबर 2006 को आईटी / आईटीईएस एसईजेड अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 17 सितंबर 2017 और 28 अप्रैल 2008 को क्रमशः 12.66 हेक्टेयर तथा 3.93.5 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल भी अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 51.255 हेक्टेयर हो गया है। विकासक ने कहा है कि चूंकि एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 5 (2) (ख) आवेदक को आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए अनन्य रूप से क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है, बशर्ते उक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए क्षेत्रफल 1 लाख वर्गमीटर के न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ 10 हेक्टेयर या अधिक हो, इसलिए वे चाहते हैं कि उनके क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 'आईटी / आईटीईएस एसईजेड' से संशोधित करके 'आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड' किया जाए। अतः विकासक ने आईटी / आईटीईएस से आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर में परिवर्तन को अनुमोदित करने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) कल्याणगढ़ और गंगड़ गांव, बावला तालुक, जिला अहमदाबाद में फार्मास्युटिकल्स के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में फाइन केमिकल शामिल करके सेक्टर परिवर्तित करने के लिए मैसर्स डिशमन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

बावला तालुक, महाराष्ट्र में फार्मास्युटिकल एसईजेड 102.7409 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 13 नवंबर 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने फाइन केमिकल को शामिल करके अपने क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने कहा है कि एसईजेड स्थापित करने के आवेदन में सेक्टर का उल्लेख "फार्मा एवं फाइन केमिकल्स" के रूप में किया गया था परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भूलवश यह गायब हो गया है तथा औपचारिक अनुमोदन केवल फार्मास्युटिकल सेक्टर के लिए प्रदान किया गया। विकासक ने यह कहते हुए वर्तमान फार्मास्युटिकल सेक्टर में फाइन केमिकल को शामिल करने का अनुरोध किया कि फार्मास्युटिकल तथा फाइन केमिकल की निर्माण प्रक्रिया काफी समान है

और ये संबद्ध उद्योग हैं। उल्लेखनीय है कि विकास आयुक्त, कांडला ने भी इस एसईजेड की अधिसूचना के लिए "फार्मास्युटिकल एवं फाइन केमिकल" सेक्टर के लिए निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। परंतु चूंकि औपचारिक अनुमोदन फार्मास्युटिकल सेक्टर के लिए जारी किया गया था इसलिए केवल उस सेक्टर के लिए अधिसूचना जारी की गई। रिकार्डों से यह चेक किया गया है कि आवेदक ने औपचारिक अनुमोदन तथा सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के समय सेक्टर का उल्लेख "फार्मा एवं फाइन केमिकल" के रूप में किया था। सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 37.7 : नाम में परिवर्तन करने / नई कंपनी के नाम में अनुमोदन ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध

(i) नाम परिवर्तित करके मैसर्स एल एंड टी अरुण एक्सेलो आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स अरुण एक्सेलो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स अरुण एक्सेलो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 11.09 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 1 मई 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने कहा है कि मैसर्स एल एंड टी अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की सहायक कंपनी है, ने कंपनी में इक्विटी निवेश लाकर एसईजेड परियोजना में रणनीतिक इक्विटी निवेशक बनने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। विकासक ने यह भी कहा है कि शेयरधारक करार आदि के अनुसरण में कंपनी ने एल एंड टी अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 10 रुपए प्रत्येक के 9367347 इक्विटी शेयर (51 प्रतिशत) आवंटित किए थे। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि एसईजेड के विकास पर प्रचालनात्मक दृष्टि से अधिक बल देने और रणनीतिक इक्विटी निवेशक के रूप में मैसर्स एल एंड टी अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के समावेशन को दर्शाने के लिए 30 मई 2008 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों ने कंपनी का नाम "मैसर्स एल एंड टी अरुण एक्सेलो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स एल एंड टी अरुण एक्सेलो आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। नाम में परिवर्तन के फलस्वरूप तमिलनाडु के कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया निगमन का नया प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। इस मामले में नियंत्रक शेयर का 51 प्रतिशत मूल विकासक के पास नहीं है। इसलिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) नाम बदलकर मैसर्स जे. मातादी फ्री ट्रेड जोन प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स जे. मातादी इको पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स जे मातादी इको पाक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 46.62.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड 10 मार्च 2008 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 44.15 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 84.77.5 हेक्टेयर हो गया। अब विकासक ने सूचित किया है कि दिनांक 23 जुलाई 2008 से उक्त कंपनी का नाम बदलकर मैसर्स जे. मातादी फ्री ट्रेडर्स जोन प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है। नाम में परिवर्तन के फलस्वरूप निगमन का नया प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने मैसर्स जे. मातादी इको पाक्स (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड से पट्टा पर जमीन ली है तथा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15 जुलाई 2009 के अनुसार इस कंपनी का नई कंपनी अर्थात् मैसर्स जे. मातादी फ्री ट्रेडर्स जोन प्राइवेट लिमिटेड में विलय हो गया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड, एसईजेड ने सूचित किया है कि नई संस्था का स्वामित्व अधिसूचित मूल कंपनी के समान है। अतः विकासक ने मैसर्स जे मातादी फ्री ट्रेडर्स जोन प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर मैसर्स जे. मातादी इको पाक्स प्राइवेट लिमिटेड करने का अनुरोध किया है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, इस मामले में विलय से पूर्व नाम परिवर्तित किया गया। इसलिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 37.8 : क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध

(i) हिंजेवाड़ी गांव, मुल्शी तालुक, पुणे जिला, महाराष्ट्र में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक भाग को विमुक्त करने के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 11.7943 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हिंजेवाड़ी गांव, मुल्शी तालुक, पुणे जिला, महाराष्ट्र में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 3 अक्टूबर 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने उक्त एसईजेड में 0.2201 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि के लिए मंजूरी प्रदान की थी, जो अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 1.8818 हेक्टेयर के भाग को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 10.1326 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने कहा है कि उन्होंने शुरू में एसईजेड और एसटीपी दोनों के लिए स्कूल आदि जैसी कुछ सुविधाओं की योजना बनाई थी। तथापि, संकल्प दिनांक 17 फरवरी 2009 के अनुसार महाराष्ट्र सरकार अब एसईजेड एरिया को एसटीपी से अलग एवं भिन्न एरिया मानती है तथा सेक्टर विशिष्ट एसईजेड के लिए विशेष योजना प्राधिकारी के रूप में एमआईडीसी की नियुक्ति की है। विकासक ने यह भी कहा है कि चूंकि उनके एसईजेड को अब उनके समग्र एसटीपी के अंग के रूप में नहीं लिया जा रहा है इसलिए वे अपने एसटीपी

के शेष क्षेत्र के अंदर, न कि मूल योजना के अनुसार एसईजेड में स्कूल के लिए अतिरिक्त सुविधाओं का सृजन करने के लिए बाध्य हैं ताकि द्वाविरावृत्ति न हो। विकासक ने एसईजेड के एरिया का मैप भी प्रदान किया है (अनुबंध 2)। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में कोई इ्यूटी फ्री लाभ / रियायत प्राप्त नहीं की है तथा विकासक के अनुरोध पर विचार करने की सिफारिश की है। भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) चिपाडा गांव, भिमिली मंडल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स दिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स दिवीज लैबोरेटरी लिमिटेड द्वारा चिपाडा गांव, भिमिली मंडल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 105.496 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 16 मई 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में 9.29 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 114.786 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने कहा है कि एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि से वे अधिक उत्पादन ब्लाकों का निर्माण करने में समर्थ होंगे जिससे एसईजेड यूनिटें अपने बहुराष्ट्रीय ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रचालन करने में समर्थ होंगी। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एसईजेड में शामिल की जाने वाली अतिरिक्त भूमि का निरीक्षण किया है तथा कहा है कि समूची भूमि खुली और खाली है तथा उस पर कोई निर्माण नहीं है, एसईजेड के भूमि के क्षेत्र की फेंसिंग की जा सकती है तथा एसईजेड से होते हुए कोई आम रास्ता नहीं होगा। विकास आयुक्त ने यह भी कहा है कि भूमि विकासक के कब्जे में है तथा मौजूदा एसईजेड में भूमि को शामिल करने की सिफारिश की है। क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) बंगलौर, कर्नाटक में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बंगलौर, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 27.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 28 सितंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने पहले अधिसूचित क्षेत्रफल से 6.425 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने का अनुरोध किया है क्योंकि एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में उक्त भूखंड पर होटल का निर्माण करने के लिए उनके पिछले अनुरोध को 1 अगस्त 2008 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान नहीं की गई है। विकासक

ने यह भी कहा है कि विमुक्त होने के बाद 21.475 हेक्टेयर की शेष भूमि सन्निकट होगी तथा भूमि संबंधी आवश्यकता को पूरी करेगी। भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) हेब्बल औद्योगिक क्षेत्र, मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 25.45 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 26 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने पहले अधिसूचित क्षेत्रफल से 3.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने का अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का क्षेत्रफल 22.30 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने कहा है कि विमुक्त क्षेत्रफल का प्रयोग डीटीए / एसटीपी में उनकी यूनिट द्वारा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र में एक भी यूनिट काम नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी प्रमाणित किया है कि प्रस्तावित विमुक्तीकरण के बाद एसईजेड के क्षेत्र की सन्निकटता बनी रहेगी। उन्होंने विमुक्तीकरण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को दर्शाते हुए मैप भी प्रस्तुत किया है (अनुबंध 3)। भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) काडुबीसंथाली गांव, वर्थुर हुबली तालुक, जिला बंगलौर, कर्नाटक में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सेसना गार्डन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सेसना गार्डन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 19.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 16 नवंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने 1.912955466 हेक्टेयर और 2.448578900 हेक्टेयर की क्रमशः अधिसूचना और विमुक्तीकरण के लिए मंजूरी प्रदान की थी, जो 6 अक्टूबर 2009 को अधिसूचित किया गया था जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 18.798441316 हेक्टेयर हो गया है। अब विकासक ने पुनः एसईजेड के 0.807773279 हेक्टेयर को विमुक्त करने का अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 17.990668037 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने कहा है कि भवनों के अतिरिक्त ब्लाकों के निर्माण को वित्त पोषित करने के लिए कंपनी को निधियों की आवश्यकता है, इसलिए वह कुछ नकदी प्राप्त करने के लिए अविकसित भूमि के कुछ भाग को बेचना चाहती है। विकासक ने यह भी प्रमाणित किया है कि विमुक्तीकरण के बाद भूमि की सन्निकटता बनी रहेगी तथा एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के तहत भूमि संबंधी आवश्यकता पूरी होगी।

उन्होंने विमुक्तीकरण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को दर्शाते हुए मैप भी प्रस्तुत किया है (अनुबंध 4)। भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) माहेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में रत्न एवं आभूषण के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

माहेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 80.93 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा रत्न एवं आभूषण एसईजेड 14 अगस्त 2006 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने एसईजेड क्षेत्र से 29.49 एकड़ (11.93 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल को विमुक्त करने का अनुरोध किया है। विकासक ने कहा है कि दक्षिण पूर्व कोने में विस्तार के साथ भूमि की भौतिक रूप में आकृति वास्तु के अनुसार अच्छी नहीं है, इसलिए परियोजना के निष्पादन में बाधाओं से बचने के लिए भूमि के दक्षिण पूर्व अंश को छोड़ देने तथा उक्त क्षेत्र को विमुक्त करके भूखंड को आयताकार बनाने का सुझाव दिया गया। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने कहा है कि अधिसूचित क्षेत्र के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित विमुक्तीकरण के लिए भूमि तिकोने आकार की है। यह भी कहा गया है कि इस भूमि को विमुक्त किए जाने के बाद भी शेष क्षेत्र सन्निकट बना रहेगा तथा रत्न एवं आभूषण एसईजेड के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता पूरी होगी। भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) शोलिंगनल्लूर, तांबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने तथा एक अंश को शामिल करने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शोलिंगनल्लूर, तांबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 18.604 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 3 मई 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने 13.08.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने तथा एसईजेड क्षेत्र में 5.72.1 हेक्टेयर भूमि को शामिल करने के लिए भी अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का क्षेत्रफल 11.24.1 हेक्टेयर हो जाएगा। बताया गया है कि अधिसूचित भूमि के संबंध में कुछ आपत्तियां प्राप्त होने के कारण विकासक को विवादित भूमि जो वादग्रस्त है को एसईजेड से बाहर करने के लिए अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती करने हेतु आवेदन करने की सलाह दी गई। यह एसईजेड से उपर्युक्त 13.08.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने के लिए मुख्य कारण है। विकासक ने कहा है कि ऊपर उल्लेख के अनुसार एसईजेड के पुनः

संरक्षण के बाद भी न्यूनतम भूमि की आवश्यकता पूरी होगी। विकासक ने भूमि के अतिरिक्त अंश पर कब्जा / स्वामित्व के समर्थन में बिक्री विलेख की प्रतियां प्रस्तुत की हैं। अधिसूचित और विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्रफल को दर्शाने वाला एसईजेड का मानचित्र भी प्रस्तुत किया गया है (अनुबंध 5)। भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने तथा कुछ अंश को अधिसूचित करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(viii) माधापुर, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सनड्यू प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 16.29 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सनड्यू प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा एसईजेड 16 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने एसईजेड क्षेत्र से 6.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने का अनुरोध किया है। विकासक ने कहा है कि आर्थिक मंदी की वजह से आईटी उद्योग की बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा भारतीय कंपनियां ऑफशोर परियोजनाओं के लिए निवेश को आस्थगित करने के लिए बाध्य हुई हैं, जिससे उनके द्वारा एसईजेड में कार्यालय स्थान की मांग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि आयकर अधिनियम के सनसेट क्लोज के तहत लाभों के विस्तार के कारण इन संस्थाओं द्वारा आकर्षक घरेलू व्यवसाय किया जा रहा है जिससे एसटीपीआई योजना (आईटी पार्क) के लिए कार्यालय स्थान की आवश्यकता बढ़ रही है। यह भी कहा गया है कि इस भूमि को विमुक्त किए जाने के बाद भी शेष क्षेत्र सन्निकट बना रहेगा तथा आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता पूरी होगी। विकासक ने उक्त क्षेत्रफल के लिए एसईजेड योजना के तहत प्राप्त किए गए सभी लाभों को लौटाने का भी वचन दिया है। उन्होंने विमुक्तीकरण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को दर्शाते हुए मैप भी प्रस्तुत किया है (अनुबंध 6)। भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ix) बोम्मासांद्रा - जिगानी लिंक रोड औद्योगिक क्षेत्र, अनेकल तालुक, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बायोकाॅन लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स बायोकाॅन लिमिटेड द्वारा बंगलौर, कर्नाटक में 35.55 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 1 अगस्त 2009 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने पहले अधिसूचित क्षेत्रफल से 0.56 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने का अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का क्षेत्रफल 34.99 हेक्टेयर हो जाएगा।

विकासक ने कहा है कि विमुक्त की जाने वाली भूमि के खंड में स्थित भवन का प्रयोग अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। विकासक का अनुरोध विकास आयुक्त, वीएसईजेड के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिन्होंने अनुरोध की सिफारिश की है। भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 37.9 : अनुमोदन को वापस लेना

(i) नवलाखुंब्रे गांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स हेलियोस कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक 27 फरवरी 2009 के माध्यम से नवलाखुंब्रे गांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 14.06 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स हेलियोस कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विकासक ने कहा है कि रीयल एस्टेट सेक्टर में वर्तमान मंदी के कारण इस बात की संभावना नहीं है कि निकट भविष्य में आईटी सेक्टर पुनर्जीवित होगा और इसलिए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 37.10 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) हजीरा, गुजरात में इंजीनियरिंग के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एस्सार हजीरा एसईजेड लिमिटेड द्वारा हजीरा, गुजरात में 247.5222 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 28 सितंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने 23 फरवरी 2009 को आयोजित अपनी बैठक में 40.1538 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को हटाने तथा 11.0574 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए मंजूरी प्रदान की थी। अनुमोदन बोर्ड ने 19 जून 2009 को आयोजित अपनी बैठक में 13.3283 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए भी मंजूरी प्रदान की थी। तथापि, अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित परवर्ती अभिवृद्धि / विलोपन अभी तक अधिसूचित नहीं हुए हैं।

अब विकासक ने यह कहते हुए उक्त एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है कि एसईजेड की सभी चार यूनिटों ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 74 के अनुसरण में



एसईजेड से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। बताया गया है कि वर्ष 2006 में इस्पात उद्योग में उछाल को देखते हुए इस्पात के निर्यात को समेकित करने के लिए एसईजेड में यूनिटें स्थापित की गई थीं। तथापि, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन के कारण एसईजेड यूनिटों की स्थापना के समय परिकल्पित निर्यात को प्राप्त करना कठिन होगा। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने शर्तों के अनुपालन के अधीन एसईजेड योजना से इन यूनिटों के बाहर निकलने के लिए मंजूरी प्रदान की है जिसमें एसईजेड योजना के तहत प्राप्त किए गए लाभों को लौटाना शामिल है। यह भी बताया गया है कि यूनिटें एसईजेड योजना से बाहर निकल जाएंगी परंतु निकासी के लिए अंतिम अनुमोदन के फलस्वरूप डीटीए नियमावली के तहत उसी लोकेशन पर प्रचालन करना जारी रखेंगी। विकासक ने एसईजेड योजना के तहत प्राप्त किए गए सभी लाभों को लौटाने का भी वचन दिया है। उपर्युक्त एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) सर्वेक्षण संख्या 169, आरेय मिल्क कालोनी, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स रॉयल पाम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स रॉयल पाम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सर्वेक्षण संख्या 169, आरेय मिल्क कालोनी, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 11.70 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 27 जून 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि वैश्विक परिदृश्य तथा बाजार की स्थितियों के कारण परियोजना को लेने वाले एक भी नहीं हैं और इसलिए परियोजना लाभप्रद नहीं है। विकासक ने कहा है कि उन्होंने इस परियोजना के लिए एसईजेड योजना के तहत किसी लाभ का दावा नहीं किया है क्योंकि इस परियोजना पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) जामिन पल्लावरम गांव, तंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एसएनपी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एसएनपी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 11.14.7 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 12 फरवरी 2008 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि वैश्विक मंदी के कारण परियोजना के संभावित निवेशकों ने अपने हाथ खींच लिए हैं। इसके अलावा विकासक ने कुछ अन्य क्षेत्रों में कदम रखने का निर्णय लिया है जहां बेहतर संभावना एवं बाजार उपलब्ध है। बताया

गया है कि एसईजेड में न तो किसी यूनिट को एलओपी प्रदान की गई है और न ही किसी यूनिट को स्थापित करने के लिए उसके साथ कोई करार किया गया है। विकासक ने एसईजेड योजना के तहत प्राप्त किए गए लाभों को लौटाने का भी वचन दिया है। विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 37.11 : सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी / तीसरी बार अवधि बढ़ाना

सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश / मानदंड 15 जनवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किए गए :

एसईजेड का प्रकार	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (1)	दूसरी बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (2)
न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल की आवश्यकता वाले आईटी / आईटीईएस / रत्न एवं आभूषण / बायोटेक / गैर परंपरागत ऊर्जा एसईजेड आदि तथा स्टैंड एलॉन एफटीडब्ल्यूजेड	अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपनी 12वीं बैठक में निर्धारित की गई शर्तें	ऐसे मामलों में दूसरी बार अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी।
उपर्युक्त से भिन्न क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड	अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपनी 12वीं बैठक में निर्धारित की गई शर्तें	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा विकासक द्वारा 60 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण / कब्जा होना चाहिए
बहु उत्पाद	अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपनी 12वीं बैठक में निर्धारित की गई शर्तें	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा विकासक द्वारा 50 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण / कब्जा होना चाहिए

- यह भी निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में उपर्युक्त मापदंड पूरे नहीं होंगे उनको अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
- अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड नियमावली 2006 के अनुसार सैद्धांतिक अनुमोदन एक साल के लिए मान्य है तथा सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है। अनिवार्य अधिग्रहण को निषिद्ध करने के संबंध में ईजीओएम के निर्णय के आलोक में, तीन साल की अवधि के अंदर 1000 हेक्टेयर सन्निकट भूमि का अधिग्रहण करना कठिन हो सकता है। बहु उत्पाद एसईजेड के मामले में तीन साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड ने संगत नियम में संशोधन करने हेतु कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि ऐसा प्रावधान शामिल किया जा सके। अनुमोदन बोर्ड के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एसईजेड में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव किया गया है :

नियम 6 के उपबंध (ख) में परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"परंतु यह कि बोर्ड विकासक द्वारा फार्म एम में आवेदन प्राप्त होने पर वैधता अवधि बढ़ा सकता है तथा कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। आवेदन क्षेत्रीय विकास आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा जो अपनी सिफारिशों के साथ उसे बोर्ड को अग्रेषित करेंगे।"

(i) दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए श्रेणी 1 के अनुरोध जो उपर्युक्त मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं

इस बैठक में विचार के लिए इस श्रेणी के तहत कोई अनुरोध नहीं है।

(ii) तीसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए श्रेणी II के मामले

निम्नलिखित 11 अनुरोधों में दो बार पहले ही अवधि बढ़ाई जा चुकी है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है। प्रस्तावित संशोधन के आलोक में तीसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत हैं :

क्र. सं.	विकासक का नाम	एसईजेड का सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1620.496 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद	जगतसिंहपुर जिला, उड़ीसा	एलओए दिनांक 26 अक्टूबर 2006 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद दो बार अवधि बढ़ाई भी गई थी। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 अक्टूबर 2009 तक वैध थी। विकासक ने यह कहते हुए और अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि वे परियोजना के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा बहु उत्पाद एसईजेड के लिए विशाल भूमि के अधिग्रहण में कतिपय समस्याओं के कारण वे निर्धारित अवधि के अंदर एसईजेड के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ नहीं हुए हैं।

2.	मैसर्स क्विप्पो इनफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट लिमिटेड	180 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग क्षेत्र	रायगढ़, महाराष्ट्र	एलओए दिनांक 15 नवंबर 2006 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद दो बार अवधि बढ़ाई भी गई थी। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 14 नवंबर 2009 तक वैध थी। विकासक ने यह कहते हुए और अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि उनकी परियोजना के पहले चरण के लिए अपेक्षित भूमि का 80 प्रतिशत अधिग्रहीत कर लिया गया है तथा राज्य सरकार के कुछ विभागों से अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया है।
3.	इंडियन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड	108 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्टील उत्पाद	भुज जिला, गुजरात	एलओए दिनांक 16 नवंबर 2006 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद दो बार अवधि बढ़ाई भी गई थी। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 14 नवंबर 2009 तक वैध थी। विकासक ने यह कहते हुए और अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि वे 60 प्रतिशत भूमि खरीद चुके हैं तथा अगले 6 से 9 माह के अंदर प्रापण की प्रक्रिया पूरी करने में समर्थ हो जाएंगे।
4.	इंडियाबुल्स इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड	2429 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद	जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	एलओए दिनांक 26 अक्टूबर 2006 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद दो बार अवधि बढ़ाई भी गई थी। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 अक्टूबर 2009 तक वैध थी। विकासक ने कहा है कि आज तक की स्थिति के अनुसार 244.89 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। यह भी बताया गया है कि बहु उत्पाद एसईजेड के लिए भूमि के एक बड़े हिस्से का अधिग्रहण समय साध्य एवं श्रम साध्य प्रक्रिया है तथा नियंत्रण से परे विभिन्न बाधाओं के कारण वे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी तक पूरी करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं और इसलिए और अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है।
5.	मैसर्स ग्रेटर नोएडा इंटीग्रेटेड वेयरहाउसिंग	80 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में	ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	एलओए दिनांक 6 नवंबर 2006 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक

	जोन प्राइवेट लिमिटेड (जीएनआईडब्ल्यूपीएल )	एफटीडब्ल्यूजेड		अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद दो बार अवधि बढ़ाई भी गई थी। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 5 नवंबर 2009 तक वैध थी। विकासक ने यह कहते हुए और अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि उन्होंने परियोजना का कार्यान्वयन शुरू करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं तथा केवल भूमि पर कब्जा लेने में विलंब के कारण परियोजना रुकी पड़ी है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही आवंटित की जा चुकी है।
6.	मैसर्स श्रीओमजी डवलपर्स एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड	101 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आटोमेटिव क्षेत्र	फारुखनगर, गुड़गांव, हरियाणा	एलओए दिनांक 23 अगस्त 2006 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद दो बार अवधि बढ़ाई भी गई थी। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 22 अगस्त 2009 तक वैध थी। विकासक ने कहा है कि आज तक लगभग 79 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो गया है तथा एक साल के अंदर शेष भूमि अधिग्रहीत कर ली जाएगी और इसलिए एक साल तक अर्थात् 22 अगस्त 2010 तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।
7.	मैसर्स छत्तीसगढ़ इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन	29 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण	रायपुर, छत्तीसगढ़	एलओए दिनांक 21 जून 2006 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद दो बार अवधि बढ़ाई भी गई थी। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 20 जून 2009 तक वैध थी। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसआईडीसी) ने अनुरोध किया है कि विकासक को 20 जून 2010 तक पुनः विस्तार प्रदान किया जाए क्योंकि सीएसआईडीसी ने एसईजेड के लिए 28 हेक्टेयर भूमि का अग्रिम कब्जा ले लिया है।
8.	मैसर्स रॉकमैन प्रोजेक्ट लिमिटेड	100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल	लुधियाना, पंजाब	एलओए दिनांक 23 अगस्त 2006 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद एक बार वैधता अवधि बढ़ाई गई जो 22 अगस्त 2008 को समाप्त हो गई है।

				इस मामले में दूसरी बार अवधि नहीं बढ़ाई गई है क्योंकि विकासक ने दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से उस समय अनुरोध किया जब तीसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए मामला परिपक्व हो चुका था। विकासक ने कहा है कि उनके कब्जे में 85 प्रतिशत भूमि है।
9.	मैसर्स नांदेड़ रत्न एसईजेड लिमिटेड	50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण	नांदेड़, महाराष्ट्र	एलओए दिनांक 25 जून 2007 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद एक बार वैधता अवधि बढ़ाई गई जो 25 जून 2009 को समाप्त हो गई है। इस मामले में दूसरी बार अवधि नहीं बढ़ाई गई है क्योंकि विकासक ने दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से उस समय अनुरोध किया जब तीसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए मामला परिपक्व हो चुका था। विकासक ने यह कहते हुए अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि वर्तमान बाजार परिदृश्य और मंदी को देखते हुए उन्हें एसईजेड के विकास का काम धीमी गति से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह भी बताया गया है कि बाजार की स्थिति के अनुसार परियोजना संशोधित की जाएगी।
10.	गांधी सिटी फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डवलपमेंट लिमिटेड	404.6873 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सर्विस सेक्टर	रामनगरम तालुक, बंगलौर ग्रामीण जिला, कर्नाटक	एलओए दिनांक 22 अगस्त 2006 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद एक बार वैधता अवधि बढ़ाई गई जो 22 अगस्त 2008 को समाप्त हो गई है। इस मामले में दूसरा विस्तार जिसके लिए विकासक ने अनुरोध किया था, भी 21 अगस्त 2009 को समाप्त हो जाएगा। दूसरे विस्तार की मंजूरी की कल्पना करते हुए विकासक ने यह कहते हुए तीसरे विस्तार के लिए अनुरोध किया है कि उन्होंने एक भूमि विकास कंपनी के साथ सकलन करार किया है और उम्मीद है कि 3-4 माह के अंदर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
11	रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड	5000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु	गुड़गांव, हरियाणा	10000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक

	(आरएचएसएल)	उत्पाद	<p>अनुमोदन 31 मार्च 2006 को प्रदान किया गया था। सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल के लिए बढ़ाई गई तथा 10000 हेक्टेयर के मूल अनुमोदन के विरुद्ध अधिकतम आकार को 5000 हेक्टेयर करके एसईजेड पर एक ऊपरी सीमा लगाई गई। 440 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गुडगांव, हरियाणा में बहु सेवा एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को 5 जून 2007 को आयोजित अनुमोदन की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इसके बाद 440.71 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा क्षेत्र के लिए एसईजेड अधिसूचित किया गया। इसके बाद दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाई गई जो 31 मार्च 2009 को समाप्त हो गई है। चूंकि विकासक बहु उत्पाद एसईजेड का विकास करेगा, उन्होंने तीसरी बार अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। एचएसआईआईडीसी ने विकासक को 133 हेक्टेयर भूमि ट्रांसफर कर दी है। इसके अलावा विकासक ने 486 हेक्टेयर भूमि भी खरीद ली है जो गैर सन्निकट है। वे भूमि को सन्निकट बनाने के लिए हरियाणा सरकार की सहायता ले रहे हैं। अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपनी 35वीं बैठक में भी इस मामले पर विचार किया गया था तथा आस्थगित कर दिया गया क्योंकि बोर्ड ने नोट किया कि न तो राज्य सरकार से कोई टिप्पणी प्राप्त हुई है और न ही कोई प्रतिनिधि उपस्थित है। विकासक ने पुनः अनुरोध किया है। आरएचएसएल द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की तीसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>
--	------------	--------	--

मद संख्या 37.12 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपनी 12वीं बैठक में निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई थीं :

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि ऐसे सभी मामले जहां :

- (i) अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध एलओए की अवधि समाप्त होने से पूर्व दाखिल किए जाने चाहिए तथा
- (ii) जहां भूमि अधिग्रहण / क्रय आदि जैसे प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए हैं,

उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने वाले ऐसे सभी मामलों में मूल वैधता अवधि के बाद एक और साल के लिए मंजूरी पत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

जैसा कि नीचे बताया गया है, निम्नलिखित दो मामले उपर्युक्त मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं तथा पहली बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत हैं :

(i) नागपुर, महाराष्ट्र में 1000 के क्षेत्रफल में बहु उत्पन्न एसईजेड के सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स नागपुर मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

प्रस्ताव को 9 जनवरी 2008 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था जिसकी वैधता 8 जनवरी 2009 को समाप्त हो गई है। विकासक ने यह कहते हुए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि वर्तमान बाजार परिदृश्य और मंदी को देखते हुए उन्होंने एसईजेड के विकास का काम धीमी गति से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह भी बताया गया है कि बाजार की स्थिति के अनुसार परियोजना संशोधित की जाएगी। विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 102 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स औरंगाबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

प्रस्ताव को 7 जनवरी 2008 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था जिसकी वैधता 6 जनवरी 2009 को समाप्त हो गई है। विकासक ने यह कहते हुए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि वर्तमान बाजार परिदृश्य और मंदी को देखते हुए उन्होंने एसईजेड के विकास का काम धीमी गति से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह भी बताया गया है कि बाजार की स्थिति के अनुसार परियोजना संशोधित की जाएगी। विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।



मद संख्या 37.13 : अतिरिक्त फाटकों के लिए अनुरोध

(i) भुवनेश्वर, उड़ीसा में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में एक अतिरिक्त फाटक के अनुमोदन के लिए मैसर्स उड़ीसा इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अनुरोध

ऊपर उल्लिखित आईटी एसईजेड 69.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 18 मई 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने कहा है कि अधिसूचित एसईजेड के अंदर गोल्फ क्लब, भुवनेश्वर नामक एक गैर प्रसंस्करण क्षेत्र है जो प्रसंस्करण क्षेत्र को दो भागों में साफ साफ विभाजित करता है जिसके चलते एक फाटक से एसईजेड क्षेत्र के प्रचालन को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। इसलिए विकासक ने एक फाटक के स्थान पर दो फाटकों का निर्माण करने हेतु विशेष मामले के रूप में अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 37.14 : बाड़ा बंगार्डा, इंदौर, मध्य प्रदेश में 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मान इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु अनुमोदन बोर्ड की सिफारिश को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड द्वारा 30 अगस्त 2007 को उपर्युक्त मामले पर विचार किया गया। हालांकि विकासक ने 118.16 हेक्टेयर के लिए अनुमोदन मांगा था, अनुमोदन बोर्ड ने 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश क्योंकि विकासक का केवल 20 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा था और इसके पीछे यह तथ्य भी था कि राज्य सरकार ने 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर प्रस्ताव की सिफारिश की थी। भूमि का प्रकार तथा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा आदि के संबंध में कुछ जानकारी मांगे जाने पर विकासक ने सूचित किया कि उन्होंने एसईजेड का लोकेशन बाड़ा बंगार्डा से बदलकर खजराना कर दिया है जो उसी तहसील एवं जिले में है। विकास आयुक्त, आईएसईजेड ने सूचित किया था कि एसईजेड के लिए प्रस्तावित भूमि विवादित प्रतीत होती है और यह कि उन्होंने उक्त भूमि के संबंध में राज्य सरकार को लिखा है, यदि उक्त क्षेत्रफल में कोई अन्य एसईजेड स्थापित करने का प्रस्ताव आया है और उनसे अभी तक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अब एसईजेड ने पुनः सूचित किया है कि इस समय माननीय उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने एमपी हाउसिंग बोर्ड द्वारा भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मामले पर स्टे लगा दी है और यह निर्णय के लिए लंबित है। विकास आयुक्त ने यह भी कहा है कि विकासक से प्रगति के संबंध में कोई और रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मामला अभी भी विवादग्रस्त है। इस मामले में उपर्युक्त स्थिति के कारण

विकासक को अभी तक औपचारिक अनुमोदन के लिए एलओए जारी नहीं किया गया है। इस मामले में विकासक अनुमोदन बोर्ड द्वारा उसके मामले पर विचार किए जाने की तिथि से दो साल का समय बीत जाने के बावजूद क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए न्यूनतम अपेक्षित भूमि का भी अधिग्रहण करने में सफल नहीं हुआ है। मैसर्स मान इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की सिफारिश को वापस लेने पर निर्णय के लिए उपर्युक्त सूचना अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 37.15 : 136.38 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वल्लूर गांव, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स जाफजा चेन्नई बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की सिफारिश को वापस लेना

राज्य सरकार की सिफारिश तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भूमि पर विकासक का कब्जा है, अनुमोदन बोर्ड ने 19 अक्टूबर 2007 को 136.38 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वल्लूर गांव, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स जाफजा चेन्नई बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए सिफारिश की थी। आवेदन पत्र में विकासक ने कहा था कि 136 एकड़ (लगभग 55 हेक्टेयर) भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। राज्य सरकार ने भी अपनी सिफारिश प्रदान करते समय इसकी पुष्टि की थी। तथापि, आगे चलकर भूमि का प्रकार तथा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा आदि के संबंध में कुछ सूचना जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपेक्षित है, मांगे जाने पर विकासक ने अपने पत्र दिनांक 28 दिसंबर 2007 के माध्यम से सूचित किया कि उन्होंने 23 एकड़ (लगभग 9 हेक्टेयर) भूमि का अधिग्रहण किया है तथा शेष भूमि अधिग्रहीत की जा रही है। तमिलनाडु सरकार जिसने विकासक द्वारा लगभग 55 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा की पुष्टि की थी, से भी विकासक के कब्जे में भूमि की मात्रा की पुष्टि करने के लिए अनुरोध किया गया। तथापि, आज तक राज्य सरकार से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इस मामले में भी विकासक को औपचारिक अनुमोदन के लिए एलओए जारी नहीं किया गया है। मैसर्स जाफजा चेन्नई बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की सिफारिश को वापस लेने पर निर्णय के लिए उपर्युक्त सूचना अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 37.16 : एसईजेड स्थापित करने के संबंध में केरल से प्रस्ताव

केरल में एसईजेड के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2103 के उत्तर में अन्य बातों के साथ सदन को यह सूचित किया गया था कि केरल में एसईजेड स्थापित करने के

लिए कुल 15 प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ इसलिए लंबित हैं कि अपेक्षित स्पष्टीकरण / दस्तावेज / राज्य सरकार की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस जवाब को आश्वासन के रूप में लिया गया है तथा आश्वासन पूरा करने के लिए 19 जनवरी 2010 तक समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है। प्रश्न के उत्तर की प्रति अनुबंध 7 के रूप में संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि 20 जुलाई 2009 की स्थिति के अनुसार केरल राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के एसईजेड स्थापित करने के लिए कुल 15 प्रस्ताव लंबित थे (अनुबंध 8)। किसी प्रस्ताव पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, तथापि, अनुबंध 8 के क्रमांक 15 पर उल्लिखित मामले को "एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव" शीर्षक के तहत इस बैठक के एजेंडा में शामिल किया गया है। देखा जा सकता है कि अपेक्षित स्पष्टीकरण / दस्तावेज / राज्य सरकार की सिफारिशें प्राप्त न होने के कारण इन मामलों पर विचार नहीं हो सका है और यह कि मंत्रालय की ओर से कोई विलंब नहीं हुआ है। चूंकि अनुमोदन बोर्ड राज्य सरकार की सिफारिश के अभाव में या भूमि पर कब्जा के दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य स्पष्टीकरण के अभाव में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं करता है, किसी प्रस्ताव को पूर्ण नहीं माना जा सकता है और इसलिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। चूंकि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कब तक अपेक्षित स्पष्टीकरण / दस्तावेज / राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त होगी इसलिए आश्वासन को पूरा करने में लंबा समय लग सकता है या अपूर्ण रह सकता है। अतः केवल ऐसे मामलों को लंबित मामला मानने के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है जो हर दृष्टि से पूर्ण हैं और जिन पर कोई स्पष्टीकरण / दस्तावेज आदि विकासक से या राज्य सरकार से अपेक्षित नहीं है तथा ऐसे मामलों को लंबित मामला नहीं मानना होगा जिनमें विकासक से या राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण / दस्तावेज आदि अपेक्षित हैं। यदि एसईजेड स्थापित करने के प्रस्तावों पर ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो यह विभाग आश्वासन को पूरा करने की स्थिति में हो सकता है और संसद के भावी प्रश्न के उत्तर तैयार करते समय यही दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। यह कहते हुए आश्वासन को पूरा करने के लिए अनुमोदन प्रार्थित है कि केन्द्र सरकार की ओर से कार्रवाई के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

मद संख्या 37.17 : सूरत एसईजेड द्वारा भूखंडों को निरस्त करने के संबंध में शिकायतें

सूरत एसईजेड में भूखंडों के गैर कानूनी निरसन / पुनः आवंटन के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर तथा दिसंबर 2006 में एक तारांकित प्रश्न पर बहस के दौरान दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, आरोपों की जांच करने तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति के निष्कर्षों के आधार पर विकासक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (अनुबंध 9)। कारण बताओ नोटिस के जवाब में विकासक ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया है (अनुबंध 10)। मामले के तथ्यों, लगाए गए आरोपों, समिति के निष्कर्षों तथा विकासक के जवाब को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त कांडला से कुछ पैरामीटरों जैसे कि वैध आवंटन का मुद्दा, वैध एलओए का मुद्दा, एलओए की स्वीकृति, कानूनी वचनपत्र का निष्पादन, उत्पादन की शुरुआत आदि की दृष्टि से मामलों को अलग करने के लिए कहा गया। तदनुसार विकास आयुक्त ने रिकार्डों के आधार पर 23 विवादित मामलों को अलग किया है तथा उनको विभिन्न पैरामीटरों के आधार पर 5 सूचियों अर्थात् सूची 'क', 'ख', 'ग', 'घ' और 'ड.' में पुनः विभाजित किया है (अनुबंध 11)। 15 जनवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मामले पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया क्योंकि उस समय मामले मुकदमेबाजी के अधीन थे। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने पत्र दिनांक 25 सितंबर 2009 (अनुबंध 12) के माध्यम से सूचित किया है कि न्यायालय ने समिति की सिफारिश पर कोई निर्णय प्रदान करने से मना कर दिया है, जिसने मामले की जांच की थी तथा मामले का निर्णय प्रशासनिक रूप से करना होगा।

उपर्युक्त तथ्य आवंटन की वैधता या अन्यथा के बारे में प्रत्येक मामले के संबंध में निर्णय लेने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हैं।

मद संख्या 36.18 : मिधानी के लिए यूनिट द्वारा किए गए जॉब वर्क के लिए भारतीय रुपए में मैसर्स एसई फोर्ज लिमिटेड, एसईजेड यूनिट को भुगतान करने के लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी), डीटीए में रक्षा पीएसयू का अनुरोध

मैसर्स एसई फोर्ज लिमिटेड जो बड़ोदरा, गुजरात में मैसर्स सुजलोन इंजीनियरिंग एसईजेड द्वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में यूनिट है, को पत्र दिनांक 14 अक्टूबर 2009 (अनुबंध 13) के माध्यम से मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) जो रक्षा पीएसयू है, के लिए उप संविदा आधार पर एटीवी कार्यक्रम के लिए जॉब वर्क करने के लिए राजस्व विभाग की सहमति से विशेष अनुमति प्रदान की गई थी। राजस्व विभाग ने इस शर्त के अधीन अनुमति प्रदान की थी कि वाणिज्य विभाग एसईजेड यूनिट द्वारा किए गए जॉब कार्य "सेवाओं" के लिए भुगतान के मुद्दे की जांच करेगा, जिसे एसईजेड अधिनियम की धारा 2 (जेड) के अनुसार केवल विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की आवश्यकता होती है। मिधानी ने कहा है कि वे जॉब वर्क के भुगतान योग्य प्रभारों के लिए मैसर्स एसई फोर्ज लिमिटेड को केवल भारतीय रुपए में न कि विदेशी मुद्रा में भुगतान करने में समर्थ होंगे। मिधानी ने यह भी कहा है कि मैसर्स एसई फोर्ज लिमिटेड को प्रदान किए गए वर्क ऑर्डर में भी केवल भारतीय रुपए का उल्लेख है। इसलिए मिधानी ने केवल भारतीय रुपए में मैसर्स एसई फोर्ज लिमिटेड को भुगतान करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

मिथानी का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 37.19 : एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पूजा स्क्रैप इंडस्ट्रीज, वीएसईजेड में यूनिट का अनुरोध

मैसर्स पूजा स्क्रैप इंडस्ट्रीज, वीएसईजेड में यूनिट को आयातित स्क्रैप (फेरस और नॉन फेरस) की रिसाइकलिंग के लिए एलओपी दिनांक 15 दिसंबर 1997 प्रदान किया गया था। यूनिट ने 31 अगस्त 1999 को उत्पादन आरंभ किया तथा 2003 से 2009 की अवधि के दौरान घरेलू टैरिफ क्षेत्र के विदेशी मुद्रा अर्जक लेखा से विदेशी मुद्रा में भुगतान के विरुद्ध घरेलू टैरिफ क्षेत्र में माल की आपूर्ति की तथा विदेश से लगभग 5068.13 लाख रुपए की फ्री विदेशी मुद्रा प्राप्त की। (एसईजेड नियमावली 2006 के प्रावधान 53 क (एन) के अनुसार)। यूनिट को एग्जिम पॉलिसी के प्रक्रिया हैंडबुक के पैरा 7.7.5 के अनुसार 31 अगस्त 2004 से 30 अगस्त 2009 तक 5 साल के द्वितीय ब्लाक के लिए एसईजेड दर्जा प्रदान किया गया।

01 जनवरी 2003 से वीईपीजेड को वीएसईजेड में परिवर्तित किया गया। सकारात्मक एनएफई प्राप्त न करने के लिए संचयी अवधि हेतु यूनिट के निर्यात निष्पन्न के लिए दंड लगाया गया। यूनिट ने दंड की राशि का भुगतान किया।

यूनिट को जारी किए गए एलओपी की वैधता 31 अगस्त 2009 को समाप्त हो गई तथा यूनिट एसईजेड में अपने प्रचालन को जारी रखना चाहती है और 31 अगस्त 2009 से 5 वर्ष की अगली ब्लाक अवधि के लिए एलओपी की वैधता बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। यूनिट की मुख्य गतिविधि आयातित फेरस एवं नान फेरस मेटल स्क्रैप को अलग करना है। अलग करने / निष्कर्षण की प्रक्रिया के दौरान प्लास्टिक कंपोनेंट, रबर, पेपर, सिरेमिक तथा मेटल मड आदि जैसे अपशिष्ट उत्पाद प्राप्त होते हैं तथा उनका निस्तारण एसईजेड नियमावली के प्रावधानों के अनुसार करना होता है। यूनिट ने 19 लोगों को सीधा रोजगार प्रदान किया है। यूनिट ने उपर्युक्त कार्य करने के लिए सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त की है। पिछले 5 वर्षों के लिए यूनिट के अनुमानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1.	निर्यातों का एफओबी मूल्य	2875.00 लाख रुपए
2.	आयातित सीजी का सीआईएफ मूल्य	शून्य
3.	आयातित कच्चे माल एवं कंपोनेंट का सीआईएफ मूल्य	2590.00 लाख रुपए
4.	विदेश यात्रा	शून्य

5.	निर्यात पर कमीशन	शून्य
6.	कोई अन्य भुगतान	शून्य
7.	एनएफई अर्जन	285.00 लाख रुपए

एसईजेड नियमावली 2016 के नियम 19 के उप नियम 6 के अनुसार, उत्पादन आरंभ होने की तिथि से 5 साल की अवधि पूरी हो जाने पर विकास आयुक्त यूनिट के अनुरोध पर एक बार में 5 साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ा सकता है। तथापि, एसईजेड नियमावली 2016 के नियम 18 (4) (घ) के अनुसार, रिसाइकलिंग के लिए अन्य प्रयुक्त माल के आयात के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा परंतु यह कि मौजूदा यूनिट के लिए मंजूरी पत्र की अवधि बढ़ाने पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

उपर्युक्त यूनिट द्वारा किया जाने वाला कार्य एसईजेड नियमावली 2016 के नियम 18 (4) के उप नियम (घ) (रिसाइकलिंग के लिए अन्य प्रयुक्त माल का आयात) के तहत आता है जिसके लिए अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी अपेक्षित है। तदनुसार 31 अगस्त 2009 से 5 वर्ष की अगली ब्लाक अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पूजा स्ट्रैप इंडस्ट्रीज का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) मैसर्स फ्लैक्स अपैरल प्राइवेट लिमिटेड, केएएसईजेड में यूनिट के एलओपी की वैधता के नवीकरण के लिए कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र का अनुरोध

रेडीमेड गारमेंट, निट वियर और मेडअप के निर्माण / निर्यात के लिए केएएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स फ्लैक्स अपैरल प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी दिनांक 15 मई 1996 प्रदान किया गया था। इस यूनिट को अतिरिक्त मदों अर्थात् निर्यात के लिए प्रयुक्त गारमेंट की रिप्रोसेसिंग तथा हैंडीक्राफ्ट एवं सुगंधित तेलों की ट्रेडिंग की ब्राड बैंडिंग के लिए भी अनुमति प्रदान की गई थी। यूनिट ने वर्ष 1997 में एसईजेड में अपनी गतिविधियां आरंभ की तथा 13 जून 1997 को अपना पहला निर्यात किया। उक्त एलओपी की वैधता अवधि पांच साल के लिए थी। मंजूरी पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद यूनिट ने 1 नवंबर 2005 से 31 अक्टूबर 2010 तक एलओपी की वैधता अवधि के नवीकरण के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड से संपर्क किया जबकि उस पर किराया बाकी था और इसलिए आवश्यकता के अनुसार किराया प्रदान करने का अनुरोध किया गया। अब चूंकि यूनिट ने किराए का भुगतान कर दिया गया है, विकास आयुक्त, केएएसईजेड में निर्यात के लिए प्रयुक्त गारमेंट की प्रोसेसिंग नामक मद को छोड़कर सभी मदों के लिए 31 अक्टूबर 2010 तक उनके एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने और नवीकृत करने का निर्णय लिया है क्योंकि उक्त मदें अनुमोदन बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आती हैं क्योंकि ये एसईजेड नियमावली 2006 के

नियम 18 (4) के तहत शामिल हैं। इसलिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुरोध किया है कि पुराने और प्रयुक्त गारमेंट की रीप्रोसेसिंग के नवीकरण के मामले को अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि 02 जनवरी 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने केएएसईजेड के अनुरोध पर विचार किया था तथा 5 साल के लिए केएएसईजेड में सभी जीर्ण शीर्ण क्लॉथ / प्रयुक्त क्लॉथ यूनिटों के लिए एलओपी के नवीकरण के लिए मंजूरी प्रदान की थी। तथापि, विकास आयुक्त द्वारा अग्रेषित यूनिटों की सूची में उस समय इस यूनिट का नाम नहीं था।

मैसर्स फ्लैक्स अपैरल प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी के नवीकरण के लिए केएएसईजेड का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 37.20 : विद्युत दिशानिर्देशों के जारी होने से पूर्व अनुमोदित विकासकों / सह विकासकों पर विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण दिशानिर्देश की प्रयोज्यता

27 फरवरी 2009 को जारी किए गए विद्युत दिशानिर्देश की प्रयोज्यता, विशेष रूप से ऐसे प्रावधानों पर विकास आयुक्तों से संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं जो निर्धारित करते हैं कि एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में यूनिट के रूप में या गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचना सुविधा के रूप में एसईजेड में पावर प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं। जिन विकासकों / सह विकासकों ने विद्युत दिशानिर्देशों के जारी होने से पूर्व अपना उत्पादन शुरू कर दिया है उन्होंने अभिवेदन किया है कि उन पर दिशानिर्देशों को लागू नहीं किया जाना चाहिए तथा उनको विकासक / सह विकासक के रूप में एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र से पावर प्लांट प्रचालित करना जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनके प्रमुख सरोकार तथा आपत्तियां इस प्रकार हैं :

- (i) विद्युत दिशानिर्देश को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है।
- (ii) यदि वे एसईजेड में यूनिट के रूप में आएंगे तो एसईजेड यूनिटें उनसे विद्युत लेने में आनाकानी करेगी क्योंकि इससे उनका एनएफई प्रभावित होगा।
- (iii) विद्युत परियोजना औद्योगिक अवसंरचना है और यह प्रसंस्करण क्षेत्र में होनी चाहिए।

अभिवेदनों की प्रति अनुबंध 14 के रूप में संलग्न है।

वाणिज्य विभाग की यह राय है कि एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाएं, विशेष रूप से औद्योगिक अवसंरचना स्थापित करने पर एसईजेड अधिनियम के तहत कोई

प्रतिबंध नहीं है। उपर्युक्त मुद्दों पर निर्णय के लिए मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

\*\*\*\*\*